an>

Title: Demand to regulate the technical staff of MGNREGA.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत तकनीकी सहायकों के विÂषय में बात करना चाहता हूं। इनकी ग्रामीण विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी सहायकों को केवल आठ हजार रुपए के वेतन पर संविदा पर रखा था। उनके लिए न तो एच.आर. भत्ता, न वाहन भत्ता, न मेडिकल की सुविधा है और न ही उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है। इन बातों के खिलाफ वे उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी, 2016 के आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से यह अपेक्षा की थी कि शासनादेश 30 अगस्त, 2013 के अनुसार इन्हें ग्रेड वेतनमान एवं भत्ते दिए जाने चाहिए। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू नहीं किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मनरेगा में कार्यरत तकनीकी सहायकों को नियमित कर्मचारी मानते हुए वेतन, भत्ते और सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Misra Teni.